प्रेस विज्ञप्ति

22 नवंबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम

पीएनजीआरबी ने हाल ही में विज्ञान भवन से सुदूर भारत के 26 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में फैली हुई देश की लगभग आधी जनसंख्या के लिए सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की घोषणा की थी और 9वें नगर गैस वितरण बोली चक्र के अंतर्गत 129 जिलों में स्थित 65 भौगोलिक क्षेत्रों में नगर गैस वितरण की परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हीं परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्य कार्यक्रम दिनांक 22 नवंबर, 2018 को अपराह्न 4.00 विज्ञान भवन में आयोजित होगा।

भारत के 19 राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई इन परियोजनाओं के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में प्राधिकृत कंपनियों द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम का संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में सीधा प्रसारण होगा। इस प्रकार भारत में फैले हुए विभिन्न 65 क्षेत्रों के लोगों को उनके क्षेत्रों में पीएनजीआरबी की नगर गैस वितरण योजना के कार्यान्वयन, अन्य ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस के लाभों की जानकारी मिलने के साथ-साथ प्राकृतिक गैस के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धक सम्बोधन को सुनने का अवसर भी मिलेगा। प्राधिकृत कंपनियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, संबंधित राज्य सरकारों के मंत्रियों, स्थानीय सांसदों और विधायकों के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठित विभूतियों को आमंत्रित करने की योजना है.

माननीय प्रधानमंत्री 14 राज्यों में फैले हुए 124 जिलों के 50 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 10 वें नगर गैस वितरण बोली चक्र का शुभारंभ भी करेंगे।

<u>9 वां नगर गैस वितरण बोली चक्र</u>

86 भौगोलिक क्षेत्रों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए पीएनजीआरबी ने 9 वें बोली चक्र का प्रारम्भ 12 अप्रैल, 2018 को किया था। ये भौगोलिक क्षेत्र भारत के 22 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में 174 जिलों (156 पूर्ण रूप से और 18 में आंशिक रूप से) में फैले हुए हैं जिसमें भारत की 26% जनसंख्या और 24% क्षेत्र सम्मिलित है।

पिछले बोली चक्रों के अनुभव और विभिन्न हितधारकों के सुझावों के आधार पर बोली लगाने के तरीकों की समीक्षा करने के पश्चात 9 वें चक्र के दौरान निम्नलिखित सुधार किए गए थे:

- बोली मूल्यांकन मापदंड आधारभूत संरचना (80% तरजीह) के सृजन और विशेष रूप से घरेलू पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस कनेक्सनों (50% तरजीह) पर बल देता है। 20% तरजीह सीएनजी स्टेशनों की संख्या और 10% लगाई गई इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन को दी गई थी।
- केवल प्राधिकृत कंपनियों के साथ ही विपणन किए जाने को 5 से 8 वर्षों (उत्कृष्ट निष्पादकों के लिए 10 वर्ष तक विस्तारणीय) के लिए बढ़ाया गया था।
- व्यवसाय की त्वरित शुरुआत के लिए गैस की प्रपाति के माध्यम से आपूर्ति।
- गैस पाइपलाइन परिचालक नगर गैस वितरण नेटवर्क को 180/270 दिनों के अंदर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएंगे
- निष्पादन बैंक गारंटी को रुपये 50 करोड़ तक सीमित किया गया

38 कंपनियों से 406 बोलियाँ प्राप्त हुई थीं। तकनीकी बोलियाँ 12 से 18 जुलाई, 2018 के दौरान खोली गई थीं। बोलियों को एक माह के अंदर प्रस्तुत करने की शर्त के साथ 90% भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में 78 आशय पत्र जारी किए गए थे। 21 सफल कंपनियों में 2 विदेशी निवेशक और 6 नए निवेशक सम्मिलित हैं। इस संपूर्ण कार्य में 8 वर्ष की अवधि में 2,21,16,702 पीएनजी घरेलू कनेक्सन, 4603 सीएनजी पंपों की स्थापना और 1,16,171 इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन को बिछाना जाना सम्मिलित है। 9 वें नगर गैस वितरण बोली चक्र के परिणामस्वरूप रुपये 70,000/- करोड़ के निवेश और उल्लेखनीय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन का अनुमान है।

10 वां नगर गैस वितरण बोली चक्र

9 वें नगर गैस वितरण बोली चक्र में उद्योग की उत्साही प्रतिभागिता से उत्साहित और भारत के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए देश में आधारभूत संरचना के सृजन की आवश्यकता को पहचानते हुए पीएनजीआरबी ने 10 वें नगर गैस वितरण बोली चक्र की प्रक्रिया को आरंभ किया है। 10 वां चक्र में 14 राज्यों और 124 जिलों (112 सम्पूर्ण रूप से और 12 आंशिक रूप से) में फैला हुआ होगा जिसमें भारत का 24% क्षेत्र सम्मिलित होगा और 18% जनसंख्या को लाभ पहुंचेगा।

ई-बोली लगाने की प्रक्रिया 8 नवंबर, 2018 से आरंभ हो चुकी है। बोली-पूर्व सम्मेलन 6 दिसंबर, 2018 को होगा. बोलियां 5 फरवरी, 2019 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं; तकनीकी बोलियां 7 से 9 फरवरी, 2018 के दौरान खोली जाएंगी। आशय पत्र फरवरी, 2019 के अंत तक जारी किए जाने की योजना है।

इस चक्र के पश्चात भारत की 70% जनसंख्या, 52% क्षेत्रफल, 27 राज्यों और संघशासित प्रदेशों और दिल्ली, गुजरात, गोवा, पंजाब, हरियाणा और संघशासित प्रदेश दमन और दीव में फैले हुए 402 ज़िले पूरी तरह से नगर गैस वितरण में सम्मिलित हो जाएंगे।

प्राकृतिक गैस क्यों

कोयले और अन्य तरल ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस अधिक उत्कृष्ट ईंधन है। यह इनसे अधिक पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और सस्ता ईंधन है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पाइपलाइन से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार पानी की आपूर्ति नल द्वारा की जाती है। इसमें सिलेंडर के रसोईघर में भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है जिससे स्थान के बचत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई, 2018 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पीएम 2.5 कन्सेंट्रेशन की दृष्टि से विश्व के 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत में हैं। बड़ी संख्या में उद्योग भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ईंधन यथा पेट कोक और फरनेस ऑयल का उपभोग करते हैं जो सीओ2 उत्सर्जन करके प्रदूषण फैलाते हैं। हाल ही में कुछ न्यायालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों में पेट कोक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। प्राकृतिक गैस (सीएनजी के रूप में) पेट्रोल की तुलना में 60% और डीज़ल की तुलना में 45% सस्ती है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस (पीएनजी के रूप में) एलपीजी की बाज़ार दर की तुलना में 40% सस्ती है और पीएनजी का मूल्य लगभग एलपीजी के मूल्य (दिल्ली की कीमतों के आधार पर) के समान है। एक ऑटोरिक्शा चालक पेट्रोल से पीएनजी में बदलकर

अपने मासिक ईंधन बिल में से प्रतिमाह रुपये 7000-8000 तक की बचत कर सकता है। इस प्रकार से लागत के मामले में भी प्राकृतिक गैस पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की तुलना में वरीयता दिए जाने योग्य है।

विश्व के 23.4% की तुलना में भारत के ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस का प्रतिशत मात्र 6.2% है। यदि गुजरात के गैस उपभोग का अंश वैश्विक औसत से अधिक हो सकता है तो शेष भारत का भी हो सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने दिसंबर, 2015 के सीओपी21 पेरिस सम्मेलन में यह प्रतिबद्धता दर्शायी थी कि वर्ष 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2005 के स्तर से 33% तक कम कर देगा। प्राकृतिक गैस घरेलू रसोई ईंधन के रूप में, परिवहन क्षेत्र के साथ- साथ उद्योगों और वाणिज्यिक यूनिटों के ईंधन के रूप में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

<u>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के संबंध में</u>

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम , 2006 (वर्ष की सं 19) दिनांक 31 मार्च, 2006 की राजपत्र की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। अधिनियम में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित कंपनियों की विनिर्दिष्ट गतिविधियों की संलिप्तता और प्रतिस्पर्धी बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके अतिरिक्त आनुषंगिक मामलों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के गठन का प्रावधान है। तदनुसार अधिनियम में जैसा निहित है, बोर्ड को शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और पेट्रोलियम के विक्रय, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोडकर देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति विनियमित करना सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करने का भी अधिदेश दिया गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001, भारत, दूरभाष : 011-23709151 ई-मेल : contact@pngrb.gov.in